दैनिक जागरण

दशा सुधारने के लिए दिशा बदलनी पड़ती है

आत्मघाती असमंजस

राज्यसभा के बाद लोकसभा से जम्मू-कश्मीर के नए सिरे से गठन संबंधी विधेयक को पारित होना ही था। अपेक्षा के अनुरूप ऐतिहासिक महत्व वाले इस विधेयक के साथ ही अनुच्छेद 370 को करीब-करीब समाप्त करने वाला प्रस्ताव भी बड़े बहुमत से पारित हुआ, लेकिन यह अपेक्षित नहीं था कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस और अधिक भ्रमित दिखाई देगी। ऐसा लगता है उसने उस घटनाक्रम से कोई सबक सीखने की जरूरत नहीं समझी जो संसद के भीतर और बाहर देखने को मिला। यह सही है कि इन दिनों कांग्रेस नेतृत्व के सवाल को लेकर उलझी हुई है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हो सकता कि वह राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर अपने दृष्टिकोण को सही तरह से व्यक्त न कर पाए। दुर्भाग्य से उसके नेताओं ने लोकसभा में भी ठीक यही किया। आम तौर पर ऐसा तभी होता है जब जमीनी हकीकत की अनदेखी कर दी जाती है। यह अच्छा नहीं हुआ कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह सवाल पूछ डाला कि आखिर कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है या नहीं? यह सवाल उछालते हुए उन्होंने शिमला और लाहौर समझौते का भी जिक्र किया। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें इतना तो पता होना ही चाहिए कि देश में कोई भी सरकार रही हो उसने कश्मीर को भारत का अटूट अंग बताया है और शिमला समझौते का उल्लेख पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय भू-भाग को हासिल करने के संदर्भ में किया है।

कांग्रेस के लिए गंभीर चिंता की बात केवल यही नहीं कि संसद में उसके नेता अपनी सोच-समझ को सही तरीके से नहीं प्रकट कर सके, बल्कि यह भी है कि एक के बाद एक कांग्रेसी नेता पार्टी लाइन के खिलाफ बयान देना जरूरी समझ रहे हैं। कांग्रेस को सोचना होगा कि आखिर मिलिंद देवड़ा, जनार्दन द्विवेदी के साथ कुछ अन्य नेताओं ने अनुच्छेद 370 को बेअसर करने के फैसले को सही क्यों करार दिया? अब इन नेताओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हो गए हैं। उनकी ओर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के पक्ष में दिया गया बयान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राहुल गांधी के उस कथन के बाद आया जिसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश लोगों से बनता है, जमीन के टुकड़ों से नहीं। साफ है कांग्रेस इसे लेकर गहरे असमंजस में है कि अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर उसका मत क्या होना चाहिए और उसे कैसे व्यक्त करना चाहिए? उसे न केवल यह पता होना चाहिए कि यह असमंजस उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है, बल्कि यह भी कि अनुच्छेद 370 हटाकर एक ऐतिहासिक गलती ठीक की गई है।

किसानों की चिंता

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत झारखंड के तकरीबन 35 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने की तैयारी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 10 अगस्त को इस योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। उसी दिन 15 लाख किसानों के खाते में प्रथम किस्त की राशि भेजने का मसौदा सरकार ने तैयार किया है। जिस सोच के साथ सरकार ने इस योजना की परिकल्पना की है, वह अपने मकसद में पूरा हो इसलिए जिलों में डाटा एंट्री का कार्य 24 घंटे जारी है। कृषि सचिव ही नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। सरकार के इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि झारखंड के किसान मानसून की बेरुखी का दंश झेल रहे हैं। अपेक्षित बारिश नहीं होने से राज्य में रोपा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ऐसे में किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। वे इस राशि का उपयोग वैकल्पिक खेती के लिए खाद-बीज आदि खरीदने में कर सकते हैं। बहरहाल राज्य सरकार की इस योजना के तहत एक से पांच एकड़ तक की भूमि रखने वाले किसानों को प्रति वर्ष न्यूनतम पांच हजार और अधिकतम 25 हजार रुपये दिए जाने की तैयारी है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये मिल रहे हैं। यानी किसानों को न्यूनतम 11 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 31 हजार रुपये तक का सालाना लाभ होगा। झारखंड के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। बशर्ते योजना का लाभ ससमय किसानों तक पहुंचे। कई मौकों पर सरकार की योजना का लाभ तनिक लापरवाही से लाभुकों तक नहीं पहुंच पाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा को ही लें। राज्य सरकार ने भारी भरकम लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन पचास फीसद भी हासिल नहीं हो सका। ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है। सरकार को अपनी घोषणाओं और अमल में समन्वय स्थापित करना होगा। राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य यदि 2022 तक हासिल करना है तो सरकार के तंत्र को अपनी भूमिका ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करनी होगी।

> अपेक्षित बारिश नहीं होने से झारखंड में रोपा की स्थिति दयनीय है। ऐसे में किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है

बदलते वैश्विक माहौल में सही कदम

हर्ष वी पंत

अगर कश्मीर को लेकर अमेरिका एवं पाकिस्तान एक हो जाएं और भारतीय हितों की अनदेखी होने लगे तब फिर भारत के पास हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की गुंजाइश नहीं

तमाम अटकलों के बाद मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए। सरकार ने एक ही झटके में भारतीय संघ के साथ इस राज्य के रिश्तों की तस्वीर बदल दी। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को करीब-करीब समाप्त करने का एलान किया। अब इसमें केवल एक प्रावधान शेष रहेगा और यह राज्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित हो जाएगा। इस पहल पर जहां सरकार को बसपा, आप, बीजद और वाइएसआर कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों का साथ मिला तो वहीं जदयू जैसी उसकी सहयोगी पार्टी ने इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन का रास्ता चुना। जैसे कि उम्मीद थी, कश्मीर के नेताओं ने इसे 'असंवैधानिक' बताते हुए इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

एक तरह से देखा जाए तो इस कदम पर उतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा ने 2019 के चुनावी घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने का उल्लेख किया था। साथ ही इस मसले पर उसने अपनी भावनाएं कभी छिपाई भी नहीं। भाजपा के पूर्व संस्करण भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के पक्ष में मुहिम चलाई थी। इसके चलते शेख अब्दुल्ला सरकार ने 1953 में उन्हें श्रीनगर में गिरफ्तार करा लिया था और जेल में ही उनका निधन हो गया। तब से यह मुद्दा पार्टी के नेताओं के बीच और उसकी विचारधारा में छाया रहा।

दूसरे कार्यकाल के लिए मोदी सरकार को मिले प्रचंड जनादेश ने सुनिश्चित कर दिया था कि अब यह मुद्दा उसके नए एजेंडे के केंद्र में होगा। किसी भी सरकार के लिए यह मुद्दा विस्फोटक होता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वह जोखिम लेने से कतराते नहीं। इसके लिए पिछले कुछ हफ्तों में चरणबद्ध ढंग से जमीन तैयार की गई। देश पर इसके दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर मोदी सरकार इससे उचित रूप से निपट सकी तो यह उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में शुमार होगी।

जम्मू-कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने हैं। यह भारत की लोकतांत्रिक विश्वसनीयता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि चुनाव नियत समय पर हों। इस बीच राज्य में तथाकथित मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की साख रसातल में है। अलगाववादी नेतृत्व का असली चेहरा भी उजागर हो चुका है कि वे पाकिस्तान की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं हैं। लोग 'मुख्यधारा' के राजनीतिक दलों से भी त्रस्त हैं जिनके निष्प्रभावी और भ्रष्ट कुशासन ने राज्य को खोखला कर दिया है। वे किसी तरह का सकारात्मक बदलाव लाने में नाकाम रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के लिए यह माकूल मौका था कि वह इस यथास्थिति को चुनौती दे।

'आफ-पाक' थियेटर में चल रहे नाटक का भी इस घटनाक्रम में एक दिलचस्प जुड़ाव है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के हालिया अमेरिका दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता का शिगूफा छेड़ा था। इससे भारतीय नीति निर्माता यह समझ गए कि कश्मीर पर अब आर-पार का समय आ गया है। अगर कश्मीर को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान एक हो जाएं और भारतीय हितों की अनदेखी का अंदेशा उभर आए तब भारत के पास हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की गुंजाइश नहीं रह जाती।

अवधेश राजपूत

भारत के अफगानिस्तान में भी व्यापक हित जुड़े हुए हैं। कभी-कभी खेल बनाने के बजाय खेल बिगाड़ने वाली भूमिका से भी सामने वाले को संदेश देना पड़ता है कि आपकी आवाज भी मायने रखती है और उसे अनदेखा करना आपको भारी पड़ सकता है। कश्मीर को लेकर मोदी का यह कदम बिल्कुल इसी श्रेणी में आता है, भले ही वह योजनाबद्ध हो या आकस्मिक। इस कदम ने पाकिस्तान पर 'कुछ' करने का जबरदस्त दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका की इस प्रतिक्रिया के बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई होगी कि यह भारत का आंतरिक मामला है।

इस्लामाबाद ने अनुच्छेद 370 को हटाने का पुरजोर विरोध किया है। उसकी दलील है कि नई दिल्ली द्वारा इसे एकतरफा हटा देने से कश्मीर विवाद की स्थिति नहीं बदल सकती। उसके ऐसे रुख को देखते हुए लगता है कि भारत के इस कदम की काट में वह हरसंभव तिकड़म आजमाएगा। आसार यही हैं कि वह प्रत्येक वैश्विक मंच पर कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा। अगले महीने प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भी ऐसा हो सकता है। अब अंतरराष्ट्रीय बिरादरी इसमें कितनी दिलचस्पी दिखाती है, यह एक बिल्कुल अलग मसला है।

भारत में भी तमाम लोगों को यह फैसला पचा पाना मुश्किल लग रहा है। हम यथास्थिति को लेकर इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इस स्तर का बड़ा बदलाव हमारे बौद्धिक तबके को चुनौती देता है, मगर यह भी एक हकीकत है कि हम जैसे तमाम लोग इसे नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि कश्मीर में यथास्थिति बहुत पहले ही अझेल हो चुकी थी। यह भारतीय राजनीतिक वर्ग और नीति निर्माताओं की शिथिलता ही थी कि वे यथास्थिति को चुनौती देने से कतराते रहे। जम्मू-कश्मीर की तथाकथित समस्या हमेशा से राज्य की जनता और शेष भारत के बीच का एक द्विपक्षीय मसला रही है। बीते सत्तर वर्षों में शेष भारत एक तरह की नीतियों के साथ चल रहा है जबकि कश्मीर के लिए नीतियां अलग रहीं। उनका परिणाम उत्साहजनक नहीं रहा।

उन नीतियों को बदलने का वक्त आ गया था। जैसे जम्मू-कश्मीर के लोगों का शेष भारत में हिस्सा है वैसे ही शेष भारतीयों का भी जम्मू-कश्मीर में हिस्सा होना चाहिए। मोदी सरकार का हालिया कदम यही रेखांकित करता है कि वह न केवल भारत की खंडित परिधि को सुगठित करने के लिए गंभीर है, बल्कि वह उस राज्य की आकांक्षाओं को लेकर भी संजीदा है जो अपने तमाम संसाधनों के बावजूद हिंसा और खराब राजनीति का शिकार है। ऐसा करने के लिए अतीत की गलतियों को सुधारना सबसे पहला आवश्यक कदम है।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

नेहरू की जिद से जुड़ा था अनुच्छेद 370

इस बात का अहसास मुश्किल से ही किया जाता है कि कश्मीर समस्या की जड़ में जो कारण जिम्मेदार बने उनमें प्रमुख थे-विलय पत्र में जनमत संग्रह का उल्लेख किया जाना, मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाना और भारतीय सेना के कदम तब रोक देना जब वह कश्मीर घुस आए हमलावरों को खदेड़ने वाली थी। अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनने में बाधा डालने का काम किया। इससे कम ही लोग अपरिचित हैं कि किस तरह सरदार पटेल, कांग्रेस कार्यसमिति के तमाम सदस्यों और साथ ही संविधान सभा की अनिच्छा के बावजूद यह अनुच्छेद निर्मित हुआ और संविधान का हिस्सा बना। अनुच्छेद 370 को 1947 के आखिर में शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की ओर से लाया गया। इस समय तक शेख अब्दुल्ला को महाराजा और नेहरू की ओर से जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका था। नेहरू ने कश्मीर मामले को अपने अधीन रखा और गृहमंत्री होने के बाद भी सरदार पटेल को इस मसले पर दखल का अधिकार नहीं दिया।

इसीलिए जम्मू-कश्मीर के मामले पर जो कुछ हुआ उसके लिए नेहरू ही जिम्मेदार माने जाएंगे। यह लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने नेहरू को इसके लिए राजी किया कि वह जम्मू-कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र ले जाएं। इसी तरह यह शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने स्वतंत्र कश्मीर का शासक बनने और महाराजा के प्रति नापसंदगी के चलते नेहरू को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए राजी किया। अनुच्छेद 370 का सबसे खतरनाक प्रावधान यह था कि इसमें कोई भी संशोधन केवल जम्मू-कश्मीर विधानसभा ही कर सकती है। नेहरू ने भरोसा दिलाया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान है और वह समय के साथ समाप्त हो जाएगा, पर हुआ इसका उल्टा। शेख अब्दुल्ला ने पहला काम यह किया कि महाराजा के उत्तराधिकार के अधिकार को खत्म कर स्वयं को सदर-ए-रियासत के तौर पर स्थापित किया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने राज्य के भारत संघ में विलय के प्रस्ताव को 1956 में मंजूर किया। शेख अब्दुल्ला के साथ अनुच्छेद 370 के मसौदे को अंतिम रूप देने के बाद नेहरू ने गोपालस्वामी आयंगर को बिना विभाग का मंत्री बनाया ताकि वह कश्मीर मामले में उनकी सहायता कर सकें और इस अनुच्छेद पर संविधान सभा को राजी कर सकें। गोपालस्वामी आयंगर महाराज हरि सिंह के समय छह वर्षों तक कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे।

शेरू थपलियाल

> जब आयंगर ने 370 के मसौदे को संविधान सभा के समक्ष रखा तो वहां उसकी धज्जियां उड़ा दी गईं

जब सरदार पटेल ने आयंगर की पहल पर आपत्ति जताई तो 27 दिसंबर 1947 को नेहरू ने बयान दिया, 'आयंगर को खास तौर पर कश्मीर के प्रसंग में मदद करने को कहा गया है। कश्मीर के बारे में उनकी जानकारी के चलते उन्हें पूरी सामर्थ्य दी गई है। मुझे नहीं पता कि इसमें राज्यों के मंत्रालय (सरदार पटेल के मंत्रालय) की भूमिका कहां से आती है, सिवाय इसके कि जो कदम उठाए जाएं उनसे उसे अवगत कराया जाए। यह मेरी पहल पर हो रहा है और जो मसला मेरी जिम्मेदारी है उससे मैं खुद को अलग नहीं कर सकता।'

इसके बाद सरदार पटेल ने इस्तीफा दे दिया और मामला गांधी जी के पास गया ताकि दोनों सहयोगियों में सुलह करा सकें। इस दौरान वी शंकर सरदार पटेल के निजी सचिव थे। उन्होंने उस दौर की सारी गतिविधियों पर विस्तार से लिखा। उनके दस्तावेजों के अनुसार नेहरू ने पटेल को बताए बिना 370 का मसौदा तैयार किया था। जब आयंगर ने इस मसौदे को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए रखा तो उसकी धज्जियां उड़ा दी गईं। नेहरू उस समय विदेश में थे। उन्होंने वहीं से पटेल को फोनकर अनुच्छेद 370 संबंधी मसौदे को संविधान सभा से पारित कराने की गुजारिश की। अपने सहयोगी के मान की रक्षा के लिए पटेल ने न चाहते हुए भी संविधान सभा और साथ ही कांग्रेस के सदस्यों को 370 के मसौदे को पारित करने के लिए राजी किया, लेकिन वी शंकर के मुताबिक पटेल ने यह भी कहा, 'जवाहरलाल रोएगा।'

वी शंकर ने लिखा है कि इस मुद्दे पर हुई कांग्रेस की बैठक हंगामेदार रही। उनके शब्दों में, 'मैंने इतनी हंगामेदार बैठक कभी नहीं देखी।' आयंगर के फार्मूले पर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और यहां तक कि संविधान सभा की संप्रभुता का भी सवाल उठा। कांग्रेस पार्टी में भी नाराजगी थी। जब एक बार सरदार पटेल ने कमान अपने हाथ में ले ली तो अनुच्छेद 370 पर विरोध के सुर शांत हो गए, लेकिन पटेल के निधन के बाद 24 जुलाई 1952 को नेहरू ने कश्मीर के भारत संघ में धीमे एकीकरण पर संसद में कहा, 'हर समय सरदार पटेल इस मामले को देखते रहे।' नेहरू की इस गलतबयानी पर खुद गोपालस्वामी आयंगर हैरान रह गए। उन्होंने वी शंकर से कहा कि यह पटेल के साथ किया गया बुरा बर्ताव था।

यह भुला दिया जाता है कि जम्मू-कश्मीर राज्य कोई समरूप यानी एक जैसे लोगों का इलाका नहीं था। घाटी अवश्य मुस्लिम बहुल थी, पर जम्मू मुख्यतः हिंदू बहुल था और लद्दाख में मुसलमानों और बौद्धों की मिश्रित आबादी थी। इसके अलावा वहां गुज्जर और बक्करवाल भी थे। आखिर अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के भारत संघ में पूर्ण एकीकरण में बाधक क्यों बना? सबसे पहले तो केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के बारे में केवल राज्य सरकार की सहमति से ही कोई कानून बना सकती थी। इससे राज्य को एक तरह का वीटो पावर मिल गया था। अनुच्छेद 352 और 360 जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा करने का अधिकार देते हैं उनका इस्तेमाल भी जम्मू-कश्मीर में नहीं किया जा सकता था। जहां भारत का नागरिक केवल एकल यानी भारतीय नागरिकता रखता है वहीं जम्मू-कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता रखने का अधिकार था। दलबदल रोधी कानून भी जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था। कोई बाहरी व्यक्ति इस राज्य में संपत्ति भी नहीं खरीद सकता था। जम्मू-कश्मीर को यह अधिकार भी था कि वह छावनी क्षेत्र के निर्माण के लिए मना कर सकता था और यहां तक सेना के इस्तेमाल के लिए जमीन देने से इन्कार कर सकता था।

(इंडियन डिफेंस रिव्यू में सेवानिवृत्त मेजर जनरल लेखक के आलेख-'आर्टिकल 370: द अनटोल्ड स्टोरी' का संपादित अंश)

response@jagran.com

ऊर्जा

कमजोर इच्छा

ऐसा क्यों होता है कि एक जैसे दिखने वाले लोगों में से कई बहुत सफल होते हैं तो कई असफल। आखिर वह कौन सा तत्व है जो व्यक्तियों को असफलता की ओर धकेलता है। वह तत्व है कमजोर इच्छा। कमजोर इच्छा से अभिप्राय उस इच्छा या कार्य से है जो हम सभी कभी न कभी यह जानते या महसूस करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए या कोई काम हमारे हित में रहेगा, लेकिन हम उसे करते नहीं। यह पुरानी समस्या है। यह काम करने में आड़े आने वाला सबसे बड़ा अवरोधक है। यही कारण है कि अनेक लोग अपने बढ़िया विचारों और योजनाओं को मस्तिष्क में लिए ही इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि वे कमजोर इच्छा की स्थिति में रहकर कभी उन विचारों या योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश ही नहीं करते। यदि वे कोशिश करते तो शायद दुनिया में अनगिनत नवाचार की वस्तुएं होतीं और व्यक्ति उन सबसे लाभ उठा रहे होते। आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी ज्ञान, उपकरण आदि सभी विचार व्यक्तियों ने सोचते ही वास्तविकता में उतारने के लिए दिन रात एक कर दिए, इसलिए आज हम उनका उपभोग कर पा रहे हैं। यदि आपके मन में कोई भी ऐसा विचार या योजना आती है तो उसे तुरंत कर दीजिए।

कमजोर इच्छा व्यक्ति को बड़े काम करने से रोकती है। इसलिए सदैव सकारात्मक सोच कर आगे बढ़ें और काम को तुरंत कर दें। कमजोर इच्छा का मूल कारण एक ही है-सकारात्मक सोच की कमी और मेहनत से बचना। सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत से सब संभव है। इनसे व्यक्ति बड़ी मुसीबतों को भी अवसर में बदलकर इतिहास रच देते हैं। इसलिए कमजोर इच्छा की स्थिति उन्हें अपना शिकार नहीं बना पाती। जेफ बेजोस और बिल गेट्स इसका सशक्त उदाहरण हैं। उनके मन में आई इच्छा कभी कमजोर नहीं पड़ पाई। आप भी आज ही से कमजोर इच्छा को मजबूत इच्छा में बदलने के लिए उस पर काम करना आरंभ कर दीजिए। फिर आने वाला समय आपका होगा, जो आपके नाम के साथ लोगों का प्रेरणास्रोत बनेगा।

रेनू सैनी

खाने का कैसा धर्म

अंशुमाली रस्तोगी

शायद ऐसा किसी ने कभी सोचा भी न होगा कि एक दिन खाने को हम धर्म की जकड़न में बंधा पाएंगे। खाने का धर्म निर्धारित कर उस पर बहस करेंगे। सोशल मीडिया से चलकर यह मुद्दा आज घर-घर में चर्चा का विषय बन जाएगा। हम अभी भी जाति की दीवार को ढहा नहीं पाए हैं, पर खाने के पीछे धर्म को लेकर बवाल नया ही गुल खिला रहा है। हमें यह भी बता रहा है कि इतना आधुनिक और डिजिटली समृद्ध होने के बाद भी हम धर्म की जकड़बंदी से बाहर नहीं निकल पाए हैं।

विडंबना देखिए कि एक तरफ हम चांद पर कदम रखने की तैयारी में हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं, जो डिलीवरी बॉय का धर्म देख उससे खाना लेने से साफ मना कर देते हैं। यह किस तरह की आधुनिक समझदारी है, जो समझ से परे है। यह मानवतावाद का परिहास है। पता नहीं कैसा समय आ गया है कि हम व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से न कर धर्म से तय करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर हर वक्त चलने वाली जाति एवं धर्म आधारित बहसें किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पातीं। सिर्फ उन्माद बनकर रह जाती हैं। यही उन्माद समाज के बीच पहुंचकर हमें आए-दिन परेशान करता है। खाना इंसान की भूख मिटाने के लिए है, न कि उसका धर्म निर्धारित करने के लिए। दो वक्त की रोटी के लिए इंसान को कितना परिश्रम करना पड़ता है, इस वेदना को वह व्यक्ति समझ ही नहीं सकता जो खाने का धर्म तय कर रहा है। जरा जाकर पूछिए उनसे जिन्हें दो वक्त तो क्या एक वक्त का खाना भी कितनी जद्दोजहद के बाद नसीब होता है। खाने का धर्म तय कर हम खाने का तो अपमान कर ही रहे हैं, साथ-साथ दुनिया को यह भी बता रहे हैं कि हम बेवकूफी के स्तर पर किस हद तक जा सकते हैं।

> पता नहीं कैसा समय आ गया है कि हम व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से न कर धर्म से तय करने लगे हैं

अक्सर जब इस प्रकार के मसले जेरे-बहस बनते हैं तो लगता है कि अभी भी हम 'परिपक्व' नहीं हुए हैं। क्यों ऐसी बहसों में पड़ते हैं हम जिसका विचार या सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं होता। बुद्धि हमें सोचने-विचारने के लिए मिली है, न कि इन बातों पर खर्च करने के लिए। हर मुद्दे को धर्म या जाति से जोड़ना कितना जायज है, यह बात समझ से परे है।

कौन क्या खा रहा है इस पर हम अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। देश में जब इतनी तरह के लोग हैं तो खान-पान भी भिन्न ही होगा। फिर यह हम कौन होते हैं, जो यह तय करें कि कौन क्या खाए, क्या न खाए? अभी लोग खाने को धर्म के दायरे में ला रहे हैं, हो सकता है, कल को पानी पर भी ऐसा ही कुछ सुनने-देखने को मिल जाए। इंसान से भले तो पशु हैं, जो ना जातियों में विभाजित हैं, ना धर्म में, ना खाने में, ना आचार-व्यवहार में। धर्म और जाति आधारित बहसें हमें बहुत ही गलत दिशा में ले जा रही हैं। समाज का ताना-बाना ध्वस्त हो रहा है। एक-दूसरे को हम शक की निगाह से देखने लगे हैं। आपस में अगर छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर ऐसे ही विभाजित होते रहे तो एक दिन हम बिल्कुल ही बंट जाएंगे। भाईचारे की जो हमारी पहचान है, वह खत्म हो जाएगी। इस धार्मिक नफरत को हमें रोकना ही होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

कश्मीर घाटी में ताजी हवा का झोंका

कश्मीर पर बड़ा फैसला शीर्षक से लिखे अपने लेख में विवेक काटजू ने कश्मीर में अनुच्छेद-370 और 35-ए हटाए जाने के संदर्भ में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, वे निर्मूल हैं। क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है जिसे लेकर यदि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ उछल-कूद करता भी है तो उसे हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अलगाववाद और आतंकवाद की ओट में भारत के अंदर किस तरह से कश्मीर की आजादी की आग को सुलगाए रखा था। आज मोदी सरकार ने पड़ोसी द्वारा लगाई गई अपने घर की उसी आग को बुझाने का काम किया है। अब इसमें पाकिस्तान या अन्य कोई देश किसी तरह की कोई आपत्ति व्यक्त करता भी है तो वह बेमानी है। इस तरह की गैर जरूरी आपत्ति को सुरक्षा परिषद सहित दुनिया का अन्य कोई देश तवज्जो देगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। यद्यपि भारत के कुशल रणनीतिकारों ने कश्मीर पर इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पाकिस्तान को लेकर कोई रणनीति जरूर बना ली होगी। शायद इसीलिए पाकिस्तान अभी तक खामोश है और आगे भी रहेगा, इसकी उम्मीद है। मोदी सरकार के इस कदम से कश्मीर घाटी में जो ताजी हवा का झोंका आया है, उसकी महक को कश्मीर घाटी के शांतिप्रिय लोग महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह भी विश्वास है कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के अंदर अब विकास की नई इबारत लिखी जाएगी।

pandeyvp1960@gmail.com

आत्मविश्वास का परिचय

राजनीति में साहसिक निर्णय लेने वाले विरले ही होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस सूची में शामिल हो गए हैं। अनुच्छेद 370 पर बात करना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा था, लेकिन पीएम मोदी ने उसे कर दिखाया। असल में तो नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प उसी दिन ले लिया था, जब वर्ष 1992 में उन्होंने मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि जिसने मां का दूध पिया हो वह लाल चौक पर तिरंगा लहरा कर दिखाए। मोदी ने चुनौती देते हुए कहा था कि मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बिना सामान्य गाड़ी से आ रहा हूं, जिसकी मां ने दूध पिलाया है वह मुझे रोक कर दिखा दे। उस दिन मोदी ने मां के दूध की गरिमा बढ़ा दी थी। अब अनुच्छेद 370 पर संसद का जो फैसला आया है वह प्रधानमंत्री के उसी संकल्प का परिणाम है। वैसे तो भारत की राजनीति में इंदिरा गांधी भी साहसिक निर्णय लेने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण, राजाओं के प्रिवी पर्स व बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे साहसिक निर्णय लिए थे, किंतु देश पर आपातकाल थोपने वाली भयंकर भूल ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था। मोदी इससे पहले नोटबंदी व जीएसटी लागू करने जैसे निर्णय ले चुके हैं। साहसिक निर्णय लेने के लिए भरपूर आत्मविश्वास चाहिए और वह मोदी में कूट कूट कर भरा हुआ है। अनुच्छेद 370 व 35ए हटाने से जम्मू-कश्मीर निःसंदेह प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। निश्चय ही नरेंद्र मोदी की सरकार इस ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए सराहना की पात्र है। जम्मू-कश्मीर की आने वाली पीढ़ियां भी आभारी रहेंगी।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

मेलबाक्स

कश्मीर पर नजर

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक फैसले की समाप्ति से लोगों के बीच काफी उत्साह का माहौल बना है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना, वहां की महिला से शादी करना जैसी चीजों पर लगी रोक हट जाएगी। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर से सटे राज्यों के लोगों की निगाहें अब कश्मीर राज्य में रहने और व्यापार करने की ओर लग चुकी है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले इस हिस्से पर लोगों की इस अंधी भीड़ के बसने से वहां की प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंच सकता है।दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़ी आबादी वाले शहरों की तरह ही भविष्य में जम्मू कश्मीर में भी गंदगी, प्रदूषण जैसी समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस नियम के प्रति सरकार को इस राज्य के संरक्षण के लिए कानून बनाना चाहिए। ज्यादा प्रदूषण करने वाले उद्योगों के बजाय वहां मूलभूत संस्कृति और कुटीर उद्योग को ही बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

aksinghal8@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721
और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
ंपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय ीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।